न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 260/2017 वाद
GCMS No. – 2017/00451

श्री बलराज सिंह पिता हरकेश सिंह जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी सतखण्डा नई आबादी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–वादी

//बनाम//

श्री रतनलाल पिता पोखर जाति रावत उम्र 45 वर्ष निवासी महादेवपुरा (मोहम्मदपुरा) तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– 1– श्री आशाराम प्रजापत – अधिवक्ता वादी

:: निर्णय :: दिनांक :– 31.07.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के स्वामित्व व अधिपत्य की आराजियात वाके मौजा महादेवपुरा (मोहम्मदपुरा) पटवार हल्का सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा में स्थित है जिसकी खाता संख्या 70 की आराजी नम्बर 280 रकबा 0.38 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 281 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता– 2 कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर लगानी 3 रूपये 15 पैसे स्थित हैं। उक्त आराजियात के पड़ौस पूर्व में रास्ता, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में सरकारी जमीन (विद्यालय की भूमि) व दक्षिण में बंशीलाल भाम्बी, रामलाल व उदा गायरी की आराजियात के मध्य स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी पेश है।

2. वादग्रस्त आराजियात पर वादी शान्तिपूर्ण तरीके से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रतिवादी का वादी [illegible] आराजियात से कोई संबंध सरोकार नहीं है। किन्तु वादी की आराजियात आ[illegible] से [illegible]ी होकर क़ीमतन है जिस पर प्रतिवादी जबरन कब्जा कर [illegible] पर निर्माण [illegible] करना चाहता है व वादी को बेदखल करना चाहता है इसी आशय से प्रतिवादी दिनांक 28.09.20[illegible] अपने साथ 2–3 कारीगर व 5–6 मजदूर लेकर [illegible]ा और वादी की आ[illegible] पर खड्डे आदि खोदकर निर्माण कार्य करने लगा व प्रतिवादी को समझाया कि यह आराजियात जिसका विवरण वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में दिया है वादी के कब्जे एवं अधिपत्य की है जिसकी विधिवत रूप से वादी ने पत्थरगढ़ी भी करा रखी है किन्तु प्रतिवादी नहीं माना और कहने लगा की वह तो आराजियात पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करके रहेगा व वादी को बेदखल करके रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

3. आराजी नम्बर 280 व 281 दोनों ही साथ लगी हुई है उपरोक्त आराजियात पर प्रतिवादी अपने साथ कारीगर लेकर आया व निर्माण कार्य दिनांक 02.10.2017 को करने लगा व रुबरु गवाहान वादी ने प्रतिवादी को समझाया और कहा की आपको पहले भी समझाया फिर भी आप नहीं मान रहे हो तो प्रतिवादी ने धमकी दी की वह तो किसी भी कानून वानून को नहीं मानता है और जबरन मकान बनाकर निर्माण कार्य करेगा व वादी को बेदखल करेगा। वादी ने उक्त घटना की सूचना भी थाने में दी है किन्तु प्रतिवादी जो कि जाति से रावत है व गांव में कहता फिरता है कि वादी व कानून उसका कुछनहीं कर सकते है जिससे प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

4. वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जावे कि वादी की खातेदारी स्वामित्व अधिपत्य की आराजियात जो वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में वर्णित पडौसों के मध्य की है जो मौजा महादेवपुरा पटवार हल्का सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा में है जिसके आराजी नम्बर 280 रकबा 0.38 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 281 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता– 2 कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर पर वादी को उसकी आराजियात का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रतिवादी ना तो जबरन कब्जा करे ना अपने किसी साथी को साथ रखकर कब्जा करावें, ना ही वादी की उपरोक्त पड़ौसों के मध्य की आराजियात पर प्रतिवादी किसी प्रकार से नींव आदि खोदकर पक्का कार्य मकान आदि का करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट से करावें इस प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादी को पाबन्द फरमावें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री ज्ञानचन्द्र धाकड़ ने वकालतनामा पेश किया। कुछ पेशी बाद प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश नहीं होने से प्रतिवादी का जवाबदावा बन्द किया गया। पत्रावली साक्ष्यवादी में आने के कुछ पेशी बाद प्रकरण में दिनांक 11.02.2020 की पेशी पर प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रतिवादी के ओर से हिदायत पैरवी नहीं करना जाहिर किया प्रतिवादी को तीन बार आवाज लगाई गई उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का ओदश दिया गया।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता [illegible] का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ग[illegible]ता [illegible] अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल ज[illegible] संवत् 2071[illegible]4 ग्राम महादेवपुरा पटवार हल्का सतखण्डा की खाता संख्या [illegible] 280 रकबा 0.38 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 281 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता– [illegible] कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पेश की है। पर्चा मौका पत्थरगढ़ी ग्राम मेहमुदगंज दिनांक 09.06.2014 की प्रमाणित प्रति पेश की है। वादी ने मौखिक साक्ष्य में अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश किया हैं। नकल जमाबन्दी संवत् 2071–2074 ग्राम महादेवपुरा पटवार हल्का सतखण्डा की खाता संख्या 70 अनुसार आराजी नम्बर 280 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

0.38 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 281 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता– 2 कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम के नाम खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न ग्राम महादेवपुरा का नक्शा ट्रेस अनुसार आराजी नम्बर 280 व 281 पास–पास है। पत्थरगढ़ी पर्चा मौका अनुसार वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी का कब्जा साबित है। वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार हैं जिसे अपने हक हिस्से की भूमि पर हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने का कानूनी अधिकार है। पत्थरगढ़ी पर्चा मौका अनुसार वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी का कब्जा साबित है जिसका कोई विधिक आधार प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से भी वादी के कथनों को बल मिलता है। वादी का वाद डिक्री योग्य है।

7. अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि मौजा महादेवपुरा पटवार हल्का सतखण्डा की खाता संख्या 70 की आराजी नम्बर 280 रकबा 0.38 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 281 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता– 2 कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें ना करावें। वादी को अपनी खातेदारी भूमि में उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/7/23

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)
सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:28 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 260/2017 वाद
GCMS No. – 2017/00451

श्री बलराज सिंह पिता हरकेश सिंह जाति जाट उम्र 45 वर्ष निवासी सतखण्डा नई आबादी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–वादी

//बनाम//

श्री रतनलाल पिता पोखर जाति रावत उम्र 45 वर्ष निवासी महादेवपुरा (मोहम्मदपुरा) तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री आशाराम प्रजापत की उपस्थित में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि मौजा महादेवपुरा पटवार हल्का सतखण्डा की खाता संख्या 70 की आराजी नम्बर 280 रकबा 0.38 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 281 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता– 2 कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें ना करावें। वादी को अपनी खातेदारी भूमि में उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना करावें।

यह आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई ।

31/7/23

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)
सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर (राज) निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:12:28 IST
Reason: SelfAttested